



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय / GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन / DEFENCE R&D ORGANISATION
सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.1039 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1039
विषय/Sub: निकेल कैडमियम बैटरी 24 वी, 25 एएच, (2½ आवर रेट) सर्विस पार्ट सं.एमआई-8/एनआईवी
एण्ड एचईवी टाइप सं.एफटीएनसी -0156 / Nickel Cadmium Battery 24V, 25AH,
(2½ Hour Rate) Service Pt. No. MI-8/NIV & HEB Type No. FTNC 0156

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हाई एनर्जी बैटरीज (इंडिया) लिमिटेड, माथुर - 622 515, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "निकेल कैडमियम बैटरी" 24 वी, 25 एएच (2½ आवर रेट) बैटरी पार्ट सं.एफटीएनसी -0156 और सेल पार्ट सं. एनसी-एसपी-सी-25150 को पत्र सं.सेमिलाक/5070/टीए-1039 दिनांक 30 दिसम्बर 2003 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1039 दिया गया था और 31 दिसम्बर 2008 तक वैध था।

This is to state that the "Nickel Cadmium Battery 24V, 25AH" (2½Hour Rate), Battery Part. No. FTNC-0156 & CELL Part, No. NC-SP-C-25150, designed, developed and manufactured by M/s. High Energy Batteries (Ind) Ltd., Mathur 622 515, has been issued with Type Approval No. 1039 vide letter No. CEMILAC/5070/TA-1039 dated 31st Dec 2003, and valid upto 31st Dec 2008.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01/04/2009 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा जब तक अन्यथा स्थगित, रद्द, निरस्त न हो, तथा यह 31 दिसम्बर 2013 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे आदि को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (चण्डीगढ़) द्वारा सेमिलाकए, चण्डीगढ़ से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र के अन्य सभी शर्तें वही रहेंगे।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed W.e.f: 01/04/2009 based on the satisfactory performance feed back and is valid up to 31st Dec 2013. unless otherwise suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Chandigarh), CEMILAC, Chandigarh, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback. All other conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं/No : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1039-1R

दिनांक/Date : 20 Apr 2009

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

20/04/09


(के.तमिलमणि/K.TAMILMANI)

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / वे 'एच' / Outstanding Scientist / Sc-'H'
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)